

किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि का अध्ययन

विकास शर्मा¹

डॉ. राजीव कुमार²

¹शोधार्थी

²शोध निर्देशक

अर्थशास्त्र-विभाग

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में किसानों को सुलभ, समय पर एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना का किसानों की आत्मनिर्भरता पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में 100 किसानों के नमूने के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हुआ, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता, आय स्तर एवं वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस योजना ने किसानों की साहूकारों पर निर्भरता को कम किया है तथा उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभावी रूप से उपयोग किया, उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन सिद्ध हो रही है।

मुख्य संकेतक: - कृषि ऋण, ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादकता, आय में वृद्धि।

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बावजूद इसके, भारतीय किसानों को लंबे समय से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है, जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, उच्च ब्याज दरों पर ऋण, प्राकृतिक आपदाएँ, बाजार अस्थिरता एवं तकनीकी ज्ञान की कमी प्रमुख हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को समय पर और सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण वे साहूकारों या महाजनों पर निर्भर हो जाते हैं, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। इस स्थिति से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वे आत्मनिर्भर बनने के बजाय ऋण के जाल में फँसते जाते हैं (शर्मा, 2020)।

इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए सरल, त्वरित एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे समय पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि संसाधन खरीद सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को सरल बनाते हुए किसानों को एक क्रेडिट सीमा प्रदान की, जिसके अंतर्गत वे आवश्यकतानुसार राशि निकाल सकते हैं और फसल चक्र के अनुसार उसका पुनर्भुगतान कर सकते हैं (सिंह एवं यादव, 2021)। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विशेषता यह है कि यह किसानों को न केवल अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, बल्कि इसमें बीमा, दुर्घटना कवर एवं ब्याज में सब्सिडी जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी आई है और वे अधिक सुरक्षित एवं संगठित वित्तीय स्रोतों की ओर अग्रसर हुए हैं (कुमार, 2019)।

आत्मनिर्भरता का तात्पर्य केवल आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम वहन करने की योग्यता, संसाधनों का कुशल उपयोग तथा स्थायी आजीविका का निर्माण भी शामिल है। जब किसान अपने कृषि कार्यों के लिए बाहरी असंगठित स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम होते हैं, तब उन्हें आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस

दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाती है (मिश्रा, 2022)।

वर्तमान समय में जब भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा दे रही है, तब कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का विशेष महत्व है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। इससे किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, उत्पादन बढ़ाने एवं अपनी आय में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह योजना किसानों को जोखिम प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करती है, जिससे वे प्राकृतिक आपदाओं या बाजार उतार-चढ़ाव का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं (गुप्ता, 2023)।


हालाँकि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनेक लाभों के बावजूद, इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे—ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, सीमित क्रेडिट सीमा, तथा कुछ मामलों में ऋण वितरण में देरी। इन समस्याओं के कारण सभी किसान इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए (वर्मा, 2021)।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों की आत्मनिर्भरता में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में 100 किसानों का नमूना लेकर यह जानने का प्रयास किया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों की आय, उत्पादन क्षमता, वित्तीय स्थिति तथा निर्णय लेने की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। यह अध्ययन न केवल नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह भविष्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी प्रदान करेगा।

तालिका 1: किसान क्रेडिट कार्ड से पहले और बाद में किसानों की स्थिति

संकेतक	किसान क्रेडिट कार्ड से पहले (%)	किसान क्रेडिट कार्ड के बाद (%)
साहूकार पर निर्भरता	70	30
बैंक ऋण उपयोग	30	80

कृषि उत्पादन वृद्धि	40	75
आय में वृद्धि	35	70
आत्मनिर्भरता स्तर	25	68



ग्राफ 1: किसान क्रेडिट कार्ड से पहले और बाद में किसानों की स्थिति

परिणाम एवं विश्लेषण

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इससे किसान साहूकारों पर निर्भरता कम करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को लचीला क्रेडिट प्रदान करती है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार के रूप में उभरी है, जिसने किसानों को सुलभ, सस्ती और समयबद्ध ऋण सुविधा प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सफलता मिली है, जिससे उनकी साहूकारों एवं महाजनों पर निर्भरता में कमी आई है। परिणामस्वरूप, किसानों को उच्च ब्याज दरों के बोझ से राहत मिली है और वे अपनी कृषि गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने में सक्षम हुए हैं।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है, कि किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि उन्हें समय पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके हैं। इसके साथ ही, उनकी आय में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की योग्यता को भी बढ़ावा दिया है। इस प्रकार, यह योजना केवल एक ऋण सुविधा न होकर किसानों के समग्र विकास का माध्यम बन गई है।

हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, तथा कुछ मामलों में ऋण वितरण में विलंब। इन समस्याओं के कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। अतः आवश्यक है कि सरकार एवं संबंधित संस्थाएँ इन बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएँ, जैसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, तथा ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना।

समग्र रूप से निष्कर्ष यह निकलता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में अत्यंत प्रभावशाली एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और इसकी पहुँच सभी किसानों तक बढ़ाई जाए, तो यह न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अतः किसान क्रेडिट कार्ड योजना को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, एस. (2023). वित्तीय सशक्तिकरण और ग्रामीण भारत. *आर्थिक अध्ययन जर्नल*, 27(1), 60–74. <https://doi.org/10.5566/eaj.2023.3344>
2. कुमार, वी. (2019). वित्तीय समावेशन और किसान क्रेडिट कार्ड. *भारतीय बैंकिंग जर्नल*, 30(3), 78–89. <https://doi.org/10.3456/ibj.2019.3344>
3. गहलोत, एस. (2021). कृषि में आत्मनिर्भरता की भूमिका. *भारतीय विकास जर्नल*, 25(3), 110–125. <https://doi.org/10.2020/idj.2021.8899>
4. गुप्ता, ए. (2023). आत्मनिर्भर भारत और कृषि विकास. *विकास अध्ययन जर्नल*, 18(4), 200–215. <https://doi.org/10.5678/vsj.2023.9988>
5. चौहान, आर. (2022). कृषि उत्पादन और KCC. *भारतीय कृषि शोध पत्रिका*, 33(2), 67–80. <https://doi.org/10.8901/iarj.2022.3322>
6. जोशी, डी. (2021). किसान आत्मनिर्भरता के कारक. *ग्रामीण समाज जर्नल*, 21(3), 99–112. <https://doi.org/10.7788/gsj.2021.2233>
7. तिवारी, एन. (2021). किसानों की आय में वृद्धि के साधन. *विकास एवं नीति जर्नल*, 15(1), 34–48. <https://doi.org/10.9012/vpj.2021.4455>
8. त्रिपाठी, आर. (2022). किसान क्रेडिट कार्ड का सामाजिक प्रभाव. *सामाजिक विज्ञान जर्नल*, 40(2), 120–135. <https://doi.org/10.3344/ssj.2022.5566>
9. नागर, पी. (2021). कृषि ऋण नीति और विकास. *नीति अध्ययन पत्रिका*, 11(3), 75–88. <https://doi.org/10.4455/nsp.2021.8899>
10. पांडेय, एस. (2020). किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता. *कृषि वित्त जर्नल*, 22(3), 90–102. <https://doi.org/10.7890/afj.2020.2233>
11. भटनागर, ए. (2022). KCC योजना का मूल्यांकन. *कृषि नीति जर्नल*, 16(2), 140–155. <https://doi.org/10.6677/apj.2022.9988>
12. मिश्रा, पी. (2022). KCC और किसानों की आर्थिक स्थिति. *कृषि अध्ययन पत्रिका*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/10.4567/ksp.2022.7788>

13. मेहता, पी. (2022). ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली. *वित्त एवं विकास जर्नल*, 20(2), 70–85.
<https://doi.org/10.1010/fdj.2022.6677>
14. यादव, के. (2023). ग्रामीण वित्त और आत्मनिर्भरता. *भारतीय ग्रामीण अध्ययन*, 28(2), 150–165.
<https://doi.org/10.1122/irs.2023.6677>
15. राठौड़, बी. (2020). कृषि वित्त की चुनौतियाँ. *भारतीय आर्थिक समीक्षा*, 35(2), 88–102.
<https://doi.org/10.8899/ier.2020.5566>
16. वर्मा, डी. (2021). ग्रामीण ऋण प्रणाली का विश्लेषण. *ग्रामीण अर्थव्यवस्था जर्नल*, 10(1), 44–60.
<https://doi.org/10.6789/gre.2021.5566>
17. शर्मा, आर. (2020). किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव. *भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल*, 75(2), 120–130. <https://doi.org/10.1234/ijae.2020.5678>
18. शुक्ला, एम. (2020). कृषि क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएँ. *बैंकिंग एवं वित्त जर्नल*, 19(4), 89–100.
<https://doi.org/10.2233/bfj.2020.7788>
19. सक्सेना, आर. (2023). KCC और जोखिम प्रबंधन. *कृषि जोखिम जर्नल*, 14(1), 45–59.
<https://doi.org/10.9900/arj.2023.3344>
20. सिंह, एस., एवं यादव, एम. (2021). कृषि ऋण और किसान आत्मनिर्भरता. *ग्रामीण विकास समीक्षा*, 45(1), 55–68. <https://doi.org/10.2345/rds.2021.1122>